संख्याः 142 /64–1–2019–27/2016

प्रेषक,

के0 राम मोहन राव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,
एन0आई0सी0,
योजना भवन, लखनऊ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2018

विषयः–ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत निर्गत होने वाले अन्य पिछड़ी जातियों के प्रमाण पत्रों हेतु साफ्टवेयर में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्याः 660/रा0स0(2)/2018, दिनांक 29.12.2018 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत निर्गत होने वाले अन्य पिछड़ी जातियों के प्रमाण पत्रों हेतु साफटवेयर में कमांक–15 पर ''इरदीसी'' जाति अंकित है, जबकि इसे ''इदरीसी'' होना चाहिए।

2– अतः इस संबंध में सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र संख्या 314/331–जाति प्र0 स्पष्टी0–2017/रा0पि0व0आ0/2019, दिनांक 22.01.2019 तथा अधिसूचना संख्या 1576/सत्रह–वि–1–1(क)–11–2002, दिनांक 31 अगस्त,2002 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत निर्गत होने वाले अन्य पिछड़ी जातियों के प्रमाण पत्रों हेतु साफटवेयर में ''इरदीसी'' के स्थान पर ''इदरीसी'' अंकित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त

भवदीय,

(के0 राम मोहन राव)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0 व दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, लखनऊ को उनके पत्र संख्याः 660/रा0स0(2)/2018, दिनांक 29.12.2018 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
संयुक्त सचिव।

STD(S) (Mr. Shailesh Sri) CSA/RP